

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 4 मई, 1994 (वैशाख 14, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

मेजर एच.डी. वाइस, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक् पृथक् वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजमेर सिंह, सदस्य, झाबुआ जिले के जोबट विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में लगे सभी गोबर गैस संयंत्र बंद होने की ओर उपमुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लालचन्द मित्तल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के बड़े गणपति क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि का अवैध नामांतरण एवं वृक्षों की कटाई होने की ओर उपमुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

श्री जसवन्त सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है."

निर्धारित समय

6. वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

1 घण्टा	(1) मांग संख्या 5 मांग संख्या 18 मांग संख्या 66	जेल श्रम पिछड़ा वर्ग कल्याण
	(2) मांग संख्या 6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
2 घण्टे	(3) मांग संख्या 19 मांग संख्या 61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
45 मि.	(4) मांग संख्या 7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
1 घण्टा	(5) मांग संख्या 11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
45 मि.	(6) मांग संख्या 36	परिवहन
1 घण्टा 30 मि.	(7) मांग संख्या 43 मांग संख्या 44	खेल एवं युवक कल्याण उच्च शिक्षा

45 मि. (8) मांग संख्या 39 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित व्यय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

- ✓ (1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक 1994 (क्रमांक 18 सन् 1994) का पुरस्थापन * करेंगे.
- 3 घण्टे (2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 12 सन् 1994) पर विचार किया जाय.
- 1 घण्टा (3) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 13 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 3 मई, 1994

शीला खन्ना
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्

क्र.सं.	विधेयक का विवरण	क्र.सं.	संख्या
1	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 1994	18	3
2	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1994	12	3
3	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994	13	3
4	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 1994	19	3
5	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 1994	20	3
6	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 1994	21	3
7	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक, 1994	22	3
8	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) विधेयक, 1994	23	3
9	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 9) विधेयक, 1994	24	3
10	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 10) विधेयक, 1994	25	3